प्रेस विज्ञप्ति
23.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने अनंतिम रूप से **मेसर्स वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड** के बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 55.73 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक और अन्य के साथ 539.67 करोड़ के धोखाधड़ी के लिए मेसर्स वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, बैंगलोर द्वारा पंजीकृत प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी जांच से पता चला कि 2009 में, वीएमसी सिस्टम लिमिटेड ने अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के आंशिक वित्तपोषण के लिए पीएनबी और एसबीआई से संपर्क किया। इसके बाद 2009-2012 के बीच, वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड ने बैंकों के एक समूह (कंसोर्टियम) से 1673.52 करोड़ रुपये (मूल राशि) की क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कीं, जिनमें कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, एसबीआई, पीएनबी और करूर वैश्य बैंक, जिसमें एसबीआई अग्रणी बैंक के रूप में शामिल हैं। दिनांक 31.12.2013 को वीएमसी का पीएनबी के और बाद में शेष अन्य बैंक के खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) के रूप में में परिणत हो गए |कुल मिलाकर, 31.03.2018 को सभी बैंकों का नुकसान कुल 1745.45 करोड़ रुपये आंका गया था।

ईडी जांच ने खातों के झूठ का पर्दाफाश किया और क्रेडिट सुविधाओं से प्राप्त धन के वीएमसी सिस्टम लिमिटेड से जुड़ी कई संस्थाओं में भेजे जाने की बात सामने आई, जो कि अपराध जनित आगम (आय) थे| जांच के दौरान, संबंधित संस्थाओं के निदेशकों ने इन लेनदेन की गतिविधियों से जुड़ी धोखाधड़ी की बात को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, फंड को वीएमसी सिस्टम लिमिटेड और इसके प्रमोटरों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से प्रसारित किया गया था।

अपने बैंक खातों को गैर-निष्पादित आस्तियों में बदलने के बाद, वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड ने श्रीमती हिमबिन्दु और वी सतीश कुमार के नियंत्रण में संस्थाओं को अपने स्वयं के और अपने सहयोगियों के खातों -दोनों के माध्यम से धन हस्तांतरित करके अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखा। इन सस्थाओं का जिनमें छद्म निदेशक या तो इनके रिश्तेदार होते थे या पुराने परिचित, अवैध आय की आवाजाही के लिए एक चैनल के रूप में काम लिया जाता था | इन निधियों (फंड्स) को प्राप्त करने पर, इनकी उत्पत्ति और प्रकृति को अस्पष्ट रखने के उद्देश्य से वे आपस में फ़र्जी लेनदेन की एक श्रृंखला तैयार करने में जुट जाते थे|

आगे की जांच से पता चला कि वी सतीश कुमार और वी माधवी (श्रीमती हिमाबिन्दु की बहन) को अन्य लोगों के अलावा,किको ग्लोबल इंक (Kyko Global Inc.), यूएसए द्वारा दायर एक मुकदमे के आधार पर सीटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धोखाधड़ी, कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के लिए दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने पृथ्वी इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड के कपटपूर्ण आचरण और अवैध रैकेट करने की गतिविधि के कारण उसे किको(Kyko) को $ 133,000,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया | इसके बाद, किको ग्लोबल (Kyko Global) और वी सतीश कुमार और वी माधवी के बीच एक समझौता हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथ्वी इंफॉर्मेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों में परिसंपत्तियों को स्थानांतरित किया गया है और भारत में उनके एक लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनी बस्तूसिल्पी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में किको ग्लोबल को हिस्सेदारी दी गई थी |

ईडी द्वारा कुर्क परिसंपत्तियों में जुबली हिल्स, हैदराबाद में स्थित वी सतीश कुमार का आवासीय घर;अनाजपुर गाँव, रंगारेड्डी में स्थित राजेश कोठा, बेनामी और वी सतीश कुमार के सहयोगी के नाम से अधिग्रहित की गई कृषि भूमि; ईएमएमईएल इंफ्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर असम के काचर जिले में 580.77 एकड़ में फैली 11.73 करोड़ के मूल्य की एक चाय संपदा और बीएसएनएल से वीएमसी सिस्टम लिमिटेड को मिलने वाली 37.03 करोड़ रुपए राशि शामिल है।

****